न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 59/2023 G.C.M.S. No. 2023/366 दर्ज दिनांक : 02.11.2023

प्रार्थी:

स्व. वरदा पुत्र लखा, कौम मेघवंशी (मेघवाल), निवासी गांव मोरका (मोरखा), तहसील देसूरी, जिला पाली के कायम मुकामः–

1. मूलाराम पुत्र स्व. वरदा, कौम मेघवंशी (मेघवाल), निवासी गांव मोरका (मोरखा), तहसील देसूरी, जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थिगणः

1. भोपालसिंह पुत्र जोरसिंह, जाति राजपूत, निवासी गांव मोरका (मोरखा), तहसील देसूरी व जिला पाली।
2. अनोपसिंह पुत्र भोपालसिंह, जाति राजपूत, निवासी गांव मोरका (मोरखा), तहसील देसूरी व जिला पाली।
3. दलपतसिंह पुत्र भोपालसिंह, जाति राजपूत, निवासी गांव मोरका (मोरखा), तहसील देसूरी व जिला पाली।
4. नारायणसिंह पुत्र भोपालसिंह, जाति राजपूत, निवासी गांव मोरका (मोरखा), तहसील देसूरी व जिला पाली।
5. शैतानसिंह पुत्र भोपालसिंह, जाति राजपूत, निवासी गांव मोरका (मोरखा), तहसील देसूरी व जिला पाली।
6. हडमंतसिंह पुत्र भोपालसिंह, जाति राजपूत, निवासी गांव मोरका (मोरखा), तहसील देसूरी व जिला पाली।
7. शंकर पुत्र भगा, जाति रावणा राजपूत, निवासी भीटवाडा, तहसील बाली व जिला पाली। (फौत)
8. देवा पुत्र खुमा, जाति सीरवी, निवासी गांव मोरका (मोरखा), तहसील देसूरी व जिला पाली। (फौत)
9. हीरालाल पुत्र सुखदेव, जाति नाई, निवासी गांव मोरका (मोरखा), तहसील देसूरी व जिला पाली। (फौत)
10. भूमिधारी तहसीलदार बाली, जिला पाली।
11. हाल भूमिधारी तहसीलदार देसूरी, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 36/1986 बअनवान भोपालसिंह बनाम शंकर वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.09.1986

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील खारिज करने

पैरोकार–

1. श्री के.सी. पंवार, श्री नेमाराम गर्ग, डॉ. नीलम शर्मा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट प्रार्थीगण।
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांकः 31.12.2025

प्रार्थी अपीलांट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि अपील में रेस्पोंडेंट संख्या 7 व 9 की मृत्यु हो चुकी हैं तथा अपीलांट द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर दी गई हैं की जानकारी प्रथम बार दिनांक 06.02.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से हुई तथा रेस्पोंडेंट संख्या 8 की भी मृत्यु हो चुकी हैं। अतः सूचना प्राप्त होने के 90 दिवस की अवधि के भीतर रेस्पोंडेंट संख्या 7, 8 व 9 के विधिक वारिसान की सूची पेश की जा रही हैं। जिन्हें वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा जानबूझकर मृत व्यक्तियों के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की हैं। रेस्पोंडेंट संख्या 7 शंकर पुत्र भगा का एक पुत्र नारायणसिंह है। जिसकी भी मृत्यु हो चुकी हैं। जिसके कोई विधिक वारिसान जीवित नहीं हैं। रेस्पोंडेंट संख्या 8 देवा व रेस्पोंडेंट संख्या 9 हीरालाल के विधिक वारिसान को बतौर पक्षकार संयोजित फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र व आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोंडेंट दिनांक 06.02.2025 को आवेदन पेश नहीं किया, बल्कि दिनांक 06.02.2024 को आवेदन प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट संख्या 7 व 9 की मृत्यु होने तथा मृतक के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने से अपील खारिज करने का निवेदन किया। उसी दिन अधिवक्ता अपीलांट को नकल भी उपलब्ध करवा दी गई। अपीलांट व रेस्पोंडेंट एक ही गांव के निवासी है। अपीलांट द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 7, 8 व 9 की मृत्यु कब हुई, इस संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किया है। जबकि मृतक शंकर की मृत्यु करीब 10–12 वर्ष पूर्व, मृतक देवा की मृत्यु 15 वर्ष पूर्व हो चुकी हैं। मृतक देवा के अन्य वारिसान पुत्र उमाराम था। जिसकी मृत्यु हो चुकी हैं तथा उसकी पत्नि हीरकी, पुत्र लुंबाराम व तीन पुत्रियां जीवित है। जिन्हें कायम मुकाम के रूप में पक्षकार नहीं बनाया। इसी प्रकार हीरालाल की मृत्यु करीब 9 वर्ष पूर्व हो चुकी हैं। जिनके अन्य वारिसान पुत्री मनीषा जीवित है। जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। रेस्पोंडेंट संख्या 7 से 9 की मृत्यु अपील पेश करने से पूर्व हो चुकी हैं तथा आदेश 22 नियम 4 के प्रावधान वाद या अपील लंबित रहने के दौरान पक्षकारान की मृत्यु के संबंध में लागू होते हैं। मृतक के विरूद्ध अपील आरंभतः शून्य है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर अपील खारिज फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली व संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.09.1986 के विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 01.11.2023 को रेस्पोंडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा दिनांक 06.02.2024 को मृतकों के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने से अपील खारिज किए जाने बाबत प्रस्तुत की। जिसकी प्रति उसी दिन अधिवक्ता अपीलांट को उपलब्ध करवाई गई तथा अधिवक्ता अपीलांट को कायम मुकाम कार्यवाही को निर्देशित किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06.09.2024 के पश्चात अधिवक्ता अपीलांट को अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अपील खारिज करने के जवाब व मृतकों के कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु निरंतर निर्देशित किया गया एवं अवसर दिया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दिनांक 05.05.2025 को कायम मुकाम कार्यवाही बाबत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा अवगत करवाने के पश्चात भी अपीलांट द्वारा 450 दिवस के विलंब के पश्चात कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र व अपील के उपशमन को अपास्त करवाने बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही रेस्पोंडेंट की मृत्यु दिनांक आदि का अंकन किया है। चूंकि अपीलांट द्वारा अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा मृत्यु बाबत सूचना उपलब्ध करवाने के पश्चात भी जानबूझकर 450 दिवस का विलंब कारित किया है एवं हस्तगत अपील मृतक रेस्पोंडेंट संख्या 7, 8 व 9 जिनकी मृत्यु अपील प्रस्तुत करने से कई वर्ष पूर्व हो चुकी थीं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। जो मृतकों के विरूद्ध आरंभतः शून्य है तथा अपील उपशमित हो चुकी हैं। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी सारहीन होने से खारिज किया जाना तथा रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अपील खारिज करने स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट मृतक के विरूद्ध प्रस्तुत होने से पोषणीय नहीं होने तथा उपशमित हो जाने से खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अपीलांट अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने तथा प्रार्थना पत्र परिसीमा अवधि से बाधित होने से खारिज किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट मृतक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोंडेंट संख्या 7, 8 व 9 के विरूद्ध प्रस्तुत होने एवं अपील उपशमित हो जाने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक **31.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली